प्रेस-नोट

दिनांक 20.02.2025, थाना खोड़ारे

जनपद गोण्डा।

थाना खोडारे पुलिस द्वारा हत्याभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, आलाकत्ल कुल्हाड़ी व खूनालूदा कपड़े बरामद-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी मनकापुर श्री राजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना खोडारे पुलिस द्वारा थाना स्थानीय में पंजीकृत मु0अ0सं0-34/2025, धारा 103(1) बीएनएस से सम्बन्धित प्रकाश में आया हत्याभियुक्त- 01. बृजलाल पुत्र स्व0 पुदई निवासी बिछिया डांड थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा को पुराना भट्टा ग्राम बिछिया डांड से गिरफ्तार कर उसके निशानदेही से खूनालूदा कपड़े बरामद किया गया ।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 17.02.2025 को रामकेश उर्फ केसई पुत्र पुदई नि०बिछिया डांड थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा ने स्थानीय पुलिस को सूचना दी कि उनकी भाभी दिनांक 15.02.2025 को शाम गांव के बाहर पुराने भट्ठे की तरफ लकड़ी बीनने गई थी । देर तक वापस नहीं आई तो खोजबीन की गई तो भट्ठे के अंदर अचेत अवस्था में पड़ी मिली। जिन्हें इलाज हेतु सीएचसी बभनान ले गए, जहां चिकित्सक द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। उक्त सूचना पर तत्काल उच्चाधिकारियों द्वारा स्थानीय पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुँच कर निरीक्षण किया गया। फील्ड यूनिट/डाग स्क्वायड को घटना स्थल पर बुलाकर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही की गयी थी। शव के पंचायतनामा की कार्यवाही कर पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया गया था। मृतका के देवर रामकेश उर्फ केसई की लिखित तहरीर पर थाना खोड़ारे पर मु0अ0सं0-34/2025, धारा 103(1) बीएनएस बनाम अज्ञात के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा क्षेत्राधिकारी मनकापुर के नेतृत्व में पुलिस टीमों का गठन कर थानाध्यक्ष खोड़ारे को घटना के सफल अनावरण व घटना में संलिप्त अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए थे। उक्त क्रम में थाना खोड़ारे पुलिस द्वारा प्राप्त साक्ष्य संकलन व इलेक्ट्रानिक/मैनुअल साक्ष्यों के आधार पर प्रकाश में आये हत्याभियुक्त 01. बृजलाल पुत्र स्व0 पुदई निवासी विछिया डांड थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा को पुराना भट्टा ग्राम बिछिया डांड से गिरफ्तार कर उसके निशानदेही से खूनालूदा कपड़े बरामद किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना खोड़ारे पुलिस द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ के दौरान ज्ञात हुआ कि मृतका के पति का 10 वर्ष पूर्व निर्धन हो चुका है। जिसके बाद मृतका से अभियुक्त बृजलाल (मृतका का सगा देवर) शादी करने का दबाव बनाता रहता था। जिसका मृतका द्वारा बार बार विरोध किया जाता था। इसी से आहत होकर अभियुक्त द्वारा मृतका को पुराने भट्टे के पास अकेला देखकर जोर जबरदस्ती किया गया। मृतका के मना करने पर कुल्हाड़ी से सर पर वार कर घायल करके मौके से फरार हो गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. बृजलाल पुत्र स्व0 पुदई निवासी विछिया डांड थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-34/2025, धारा 103(1) बीएनएस थाना खोड़ारे, जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. आलाकत्ल कुल्हाड़ी

02. खूनालूदा कपड़े।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. थानाध्यक्ष प्रबोध कुमार थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा।

02. उ0नि0 विकाऊ प्रसाद

03. हे0का0 राजनरायन यादव

04. हे0का0 अरविन्द कुमार

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 20.02.2025

थाना परसपुर पुलिस द्वारा अवैध तमंचे के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज श्री सौरभ वर्मा के नेतृत्व में थाना परसपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त बालकराम पुत्र स्व0 साहब प्रसाद नि0 ग्राम इन्द्रपाल पुरवा थाना परसपुर जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 19.02.2025 की रात्रि थाना परसपुर के उ0नि0 अरविन्द कुमार मय हमराह फोर्स के साथ रात्रि गश्त हेतु क्षेत्र में रवाना थे कि सूचना के आधार पर घासीपुरवा फूलगीर कुट्टी मोड़ के पास से अभियुक्त बालकराम पुत्र स्व0 साहब प्रसाद को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना परसपुर पुलिस द्वारा गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. बालकराम पुत्र स्व0 साहब प्रसाद नि0 ग्राम इन्द्रपाल पुरवा थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

बरामदगी–

01. 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस।

पंजीकृत अभियोग–

01- मु0अ0स0–63/2025, धारा 3/25 आर्म्स ऐक्ट थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. उ0नि0 अरविन्द कुमार।
02. हे0का0 रविप्रकाश यादव।
03. का0 लालबहादुर यादव।

मीडिया सेल, गोण्डा।

<u>प्रेस नोट</u>
<u>दिनांक 20.02.2025</u>

थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा मोटरसाईकिल चोरी करने वाले अन्तर्जनपदीय गिरोह के 02 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे व निशानदेही से 17 अदद चोरी की मोटरसाईकिलों को किया गया बरामद–

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री उमेश्वर प्रभात सिंह के नेतृत्व में थाना वजीरगंज की पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0–11/25, धारा 303(2) बीएनएस से सम्बन्धित घटना का सफल अनावरण करते हुए टिकरी मोड़ तिराहे के पास वाहन चेकिंग के दौरान मोटरसाईकिल चोरी करने वाले गिरोह के 02 सदस्यों–01.बब्बन यादव पुत्र सहाय यादव नि0 ग्राम अहिरनपुरवा जगदीशपुर कटरा थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा, 02. विकास यादव पुत्र मुनिराज नि0 ग्राम अहिरनपुरवा जगदीशपुर कटरा थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर उनके कब्जे व निशान देही से 17 अदद चोरी की मोटरसाईकिलों को बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 19.02.2025 की रात्रि थानाध्यक्ष वजीरगंज मय हमराह फोर्स के साथ वाहन चोरी पर नियंत्रण एवं चोरी गयी मोटरसाईकिलों की बरामदगी व चोरो की गिरफ्तारी हेतु क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि सूचना प्राप्त हुई कि वाहन चोरी करने वाले गिरोह के सदस्य चोरी की मोटरसाईकिलों के साथ वजीरगंज की तरफ से टिकरी मोड़ की तरफ आ रहे है। प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस बल द्वारा टिकरीमोड़ के पास बैरिकेडिंग कर 02 वाहन चोरों–01. बब्बन यादव पुत्र सहाय यादव, 02. विकास यादव पुत्र मुनिराज, को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 02 अदद चोरी की मोटरसाईकिलों को बरामद किया गया। पूछताछ के दौरान अभियुक्तगणों की निशानदेही से टिकरी जंगल से 15 अदद चोरी की अन्य मोटरसाईकिलों को बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगणों के विरूद्ध थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना स्थानीय में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

पूछताछ का विवरण–

गिरफ्तार अभियुक्तगणों से कड़ाई से पूछताछ के दौरान ज्ञात हुआ कि इन लोगो का एक संगठित गिरोह है जो आर्थिक लाभ कमाने हेतु जनपद गोण्डा, बस्ती, अयोध्या व अन्य जनपदों में मोटरसाईकिल चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया करते है तथा इन मोटरसाईकिलों के नम्बर प्लेट बदलकर तथा फर्जी नम्बर प्लेट लगाकर गांव देहात के लोगों को अपनी मोटरसाईकिल बताकर बेच देते है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण–

01. बब्बन यादव पुत्र सहाय यादव नि0 ग्राम अहिरनपुरवा जगदीशपुर कटरा थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।
02. विकास यादव पुत्र मुनिराज नि0 ग्राम अहिरनपुरवा जगदीशपुर कटरा थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।

अनावरित अभियोग–

01. **मु0अ0सं0**–11/25, धारा 303(2) बीएनएस थाना वजीगंज जनपद गोण्डा।
02. **मु0अ0सं0–666/24, धारा 303(2) बीएनएस थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।**
03. **मु0अ0सं0–718/24, धारा 303(2) बीएनएस थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।**

04. मु0अ0सं0–407/25, धारा 303(2) बीएनएस थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।
05. मु0अ0सं0–54/25, धारा 303(2) बीएनएस थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।
06. मु0अ0सं0–179/24, धारा 303(2) बीएनएस थाना को0 नगर जनपद बस्ती।

<u>पंजीकृत अभियोग–</u>

01. मु0अ0सं0–36/2025, धारा 317(2),317(4),318(4),338,336(3),340(2) बीएनएस थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।

<u>बरामदगी–</u>

01. 17 अदद चोरी की मोटरसाईकिलें।

<u>गिरफ्तार कर्ता टीम–</u>

01. अभय सिंह थानाध्यक्ष वजीरगंज।
02. उ0नि0 विश्वास कुमार चतुर्वेदी।
03. उ0नि0 ब्रजेश कुमार।
04. हे0का0 गिरिजेश यादव।
05. हे0का0 आनन्द सिंह।
06. हे0का0 अनिल कुमार।
07. हे0का0 रावत यादव।
08. हे0का0 विनोद सोनी।
09. का0 भूपेन्द्र।
10. का0 राजन कुमार।

<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>

<u>प्रेस नोट</u>
<u>दिनांक 20.02.2025</u>

<u>पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा पुलिस लाइन सभागार कक्ष में व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के साथ की गई गोष्ठी, सुरक्षा व अन्य बिंदुओं पर की गई विस्तृत चर्चा–</u>

<u>ऑपरेशन साइबर कवच के दृष्टिगत व्यापार मंडल के पदाधिकारियों को साइबर अपराध से बचाव हेतु किया गया व्यापक जागरूक–</u>

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक गोंडा श्री विनीत जायसवाल द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन सभागार में व्यापार मंडल के पदाधिकारियो के साथ आगामी त्योहारों महाशिवरात्री, होली पर्व के दृष्टिगत गोष्ठी की गई। जिसमें सर्वप्रथम पुलिस अधीक्षक द्वारा सभी से परिचय प्राप्त कर उनकी समस्याओं के बारे में जाना गया। बैठक में मौजूद कुछ व्यापारी बन्धुओं द्वारा ट्रैफिक से सम्बन्धित दिये गये सुझावों को सुनकर व्यापारी बन्धुओं को आश्वस्त किया गया कि शीघ्र ही सम्बन्धित अधिकारियों/विभाग से समन्वय स्थापित कर अतिक्रमण हटाने का व्यापक अभियान चलाकर जनपद की सड़कों/सार्वजनिक स्थलों को अतिक्रमण मुक्त कराया जायेगा। व्यापारीगण को यह भी अवगत कराया गया कि कतिपय दुकानदार/व्यापरी बन्धुओं द्वारा दुकान के सामने ठेला लगवाने की शिकायते आती रहती है, यातायात की समस्या के निदान हेतु ऐसे व्यापारी बन्धुओं को भी संवेदनशील करने तथा सड़को/सार्वजनिक स्थलों को अतिक्रमण मुक्त बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान/सहयोग देने की अपील की गयी। इस पर बैठक में मौजूद व्यापारी बन्धुओं द्वारा सार्वजनिक स्थलों/सड़कों को अतिक्रमण मुक्त बनाने तथा ट्रैफिक की समस्या के निदान हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किये जाने का भरोसा दिलाया गया। सुरक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में महोदय द्वारा सभी पदाधिकारियों से अपनी–अपनी दुकानों पर सी0सी0टी0वी0 कैमरें लगवाने हेतु बताया गया। महोदय द्वारा गोष्ठी के दौरान पदाधिकारियों द्वारा बतायी गयी समस्याओं को उचित निदान करने का आश्वासन दिया गया। तत्पश्चात महोदय द्वारा उपस्थित सभी लोगो को सम्बोधित करते हुए साइबर अपराध के प्रकार व साइबर अपराध से बचाव हेतु जागरूक किया गया तथा डिजिटल अरेस्ट के विषय में सभी को जानकारी देते हुए बताया गया कि साइबर ठग आपके पास कॉल/वीडियों कॉल कर खुद को किसी जांच एजेंसी या पुलिस अधिकारी बताकर कानूनी टर्म का इस्तेमाल करते है तथा आपको किसी अपराध में शामिल होने की बात कहते है। कुछ मामलों में इंटरनेट पर अश्लील वीडियों देखने का भी आरोप लगाते है साथ ही पीड़ित से किसी भी शांत स्थान पर जाने की बात करते है। जिससे परिवार या फिर किसी जानकार से संपर्क नही हो सके। साइबर ठग पीड़ित पर मानसिक रूप से दबाव बनाकर पीड़ित को अपनी बातों में ले लेते है और मामला

सेटल करने के लिए पैसे देने की बात कहते है। कुछ मामलों में ठगों को पुलिस की वर्दी पहने भी देखा गया है। याद रखे कोई भी सरकारी अधिकारी फोन पर कानूनी कार्यवाही नही करता है। यदि आपके साथ किसी भी प्रकार की कोई भी साइबर ठगी हो गयी है तो घबराना नही है। आपको पुलिस की साइबर सेल या 1930 पर कॉल कर पूरी जानकारी देनी है।

इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत, क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय, निरीक्षक प्रज्ञान व व्यापार मंडल के पदाधिकारीगण मौजूद रहें।

मीडिया सेल, गोण्डा।